न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2018/00409
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 40/2018

1. सुवालाल पुत्र किशना
2. रामपाल पुत्र किशना
3. रामस्वरूप पुत्र खुबा
4. संतोष पत्नी मालीराम
5. बबली पुत्री मालीराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संतोष
6. आशा पुत्री मालीराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संतोष
7. टीना पुत्री मालीराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संतोष

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सिरसी तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूदास पुत्र भूरादास
2. गोपालदास पुत्र भूरादास
3. बंशीदास पुत्र भूरादास

समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम सिरसी तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. मन्नी देवी पत्नी भगवान सहाय
5. नाथी देवी पत्नी नन्दकिशोर

समस्त जाति माली निवासी प्लाट नं0 2, विष्णु नगर, बाईपास पुलिया के पास बैनाड रोड जयपुर।

6. सोनी देवी पत्नी भगवान सहाय
7. मनीषा पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय जरिये संरक्षिका माता सोनी देवी
8. निकिता पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय जरिये संरक्षिका माता सोनी देवी
9. मानसी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय जरिये संरक्षिका माता सोनी देवी

समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम सिरसी तहसील आमेर जिला जयपुर।

10. हरिनारायण पुत्र घीसाराम
11. श्रवण कुमार पुत्र घीसाराम
12. रामचन्द्र पुत्र घीसाराम
13. पप्पू पुत्र घीसाराम
14. प्रभू पुत्र रामपाल
15. गोपाल पुत्र रामपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:47 IST
Reason: SelfAttested

16.कालूराम पुत्र रामपाल
17.संजय पुत्र लालाराम
18.प्रेम पत्नी लालाराम
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील आमेर जिला जयपुर।
19.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111
भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :–12.11.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 151/355, 152/394, 155/354, 306, 307, 308, 309, 335/358 कुल किता 8 कुल रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम सिरसी, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसका प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होकर उपज का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात की सुरक्षा करने हेतु प्रार्थीगण को अपने उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। श्रीमान् के आदेश अनुसार प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2018 को तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक/एल.आर./18/2185 दिनांक 28.05.2018 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में किया जा चुका है।

उक्त कृषि भूमि के सीमांकन अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहते है पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थीगण के पक्ष में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें। प्रार्थीगण व अप्रार्थी[illegible] की कृषि भूमि की सीमाऐं आपस में मिली हुई है। जिस [illegible] यों से विवाद होने की संभावना रहती है जिससे निजात पाने [illegible] शांतिपूर्वक कृषि कार्य करने हेतु पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 151/355, 152/394, 155/354, 306, 307, 308, 309, 335/358 कुल किता 8 कुल रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम

वाके ग्राम सिरसी, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी अप्रार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 18 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुये है। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय हाजा द्वारा पुनः अप्रार्थीगणों के विरूद्ध रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 19.09.19 को जारी किये गये। जो 01 माह की अवधि समाप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 06.12.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस दिनांक 11.11.2020 को सुनी गयी।

तहसीलदार आमेर से प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट उनके पत्रांक भू.अ./2019/5324 दिनांक 09.10.19 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सिरसी के ख0नं0 151/355, 152/394, 155/354, 297, 306, 307, 309, 335/358 व ख0नं0 308 की जमाबंदी 2 बार से 113, 114 में संलग्न जमाबंदीनुसार खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। आशा, टीना, बबली पिता मालीराम संतोष देवी पत्नी मालीराम रामपाल पिता किशना रामस्वरूप पिता खूबाराम, सुवालाल पिता किशना समस्त जाति जाट सा. सिरसी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 309/449, 310, 311 की खातेदारी कालूराम, गोपाल पिता रामपाल, पप्पू पिता घीसा, प्रभू पिता रामलाल, रामचन्द्र पिता घासीराम लालाराम पिता रामपाल, श्रवण पिता घासीराम, हरिनारायण पिता घासीराम जाति बलाई सा. सिरसी के ख0नं0 125 के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख0नम्बरान के उत्तरी व पश्चिमी की तरफ रोड है। ख0नं0 334 में खातेदार के खाता सं0 18 में कुल 28 खातेदार है। जिनकी जमाबंदी साथ संलग्न है। व ख0नं0 32 की खातेदारी में खाता सं0 54 के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। व ख0नं0 329/436 की खातेदारी खाता सं0 75 के मुताबिक दर्ज रिकॉर्ड है। जिनकी समस्त की जमाबंदी साथ संलग्न है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस दिनांक 11.11.2020 को सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2018 को किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 151/355, 152/394, 155/354, 306, 307, 308, 309, 335/358 कुल किता 8 कुल रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम सिरसी, पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:47 IST
Reason: SelfAttested

राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही विधिवत रूप से उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित करावें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:47 IST
Reason: SelfAttested